न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 44 / 2026

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

श्री मानिनन्द्र सिंह पुत्र श्री रतिपाल सिंह निवासी गांधीनगर, आबूरोड जिला सिरोही प्रो. होटल शेर पंजाब, आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 04.06.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2026 को सुश्री अस्मिता मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड द्वारा होटल शेर पंजाब, आबूरोड जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 24.02.2026 को सुश्री अस्मिता मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड द्वारा होटल शेर पंजाब, आबूरोड जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए, जिसका उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

जिला कलेक्टर, सिरोही

......पेज नं. 02

के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थी आबूरोड में नाश्ता की लॉरी लगाकर बडी मुश्किल से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अप्रार्थी अपने व्यवसाय में व्यावसायिक सिलेण्डर ही काम में लेता है, परन्तु जांच के दिन घरेलू सिलेण्डर लॉरी पर पडा था, जिसको प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया है। अप्रार्थी की ओर से किया गया यह प्रथम अपराध है तथा अप्रार्थी पूर्व में सजायाप्ता नहीं है। अतः अप्रार्थी की ओर से नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी की पहली गलती को माफ कर उनके विरूद्ध कार्यवाही को समाप्त कर जब्तशुदा सिलेण्डर को सुपूर्द करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान होटल शेर पंजाब, आबूरोड जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पर पाया गया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा दो घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। इसके अतिरिक्त मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रतिष्ठान से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया, उस प्रतिष्ठान पर वक्त निरीक्षण नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी की ओर से की गई यह पहली गलती है इससे पूर्व अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है। चूंकि अप्रार्थी स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जिससे स्पष्ट है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए दो घरेलू गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)